अपील सूचना अधिकार संख्या 58/2020 (GCMS 2020/00130) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (48F-310130) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर कार्यालय, लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2020 के द्वारा एक बिन्दु की सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है और अपने जवाब में यह अंकित किया है कि चाही गई सूचना का सम्बन्ध आपसे है इसका कोई प्रमाण आप द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 6(2) का सहारा लेकर सूचना आर.टी.आई. अधिनियम की अवहेलना कर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> श्री राजेश लीला का पदस्थापन जिला निर्वाचन कार्यालय में जिस अवधि में पद स्थापित है व जिस जिस कार्यालय में पद स्थापित रहे है, उस अवधि व कार्यालय की सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी [illegible] श्रीगंगानगर ने अपने रजिस्टर्ड पत्रांक संस्थापन/सूचना का अधि./[illegible]/857 दिनांक 11.03.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब [illegible]:

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:32:17 IST
Reason: SelfAttested

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई सूचना का संबंध आपसे है इसका कोई प्रमाण आप

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का कारण या किसी अन्य व्यक्ति ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। अतः उक्त वर्णित अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध **में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार द्वारा प्रकरण 27734/2012 अनवान् गिरीश रामचन्द्र देश पांडे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग एवं अन्य में दिनांक 03.10.2012 अवलोकनीय है जिसके पैरा 13 में** निम्न प्रकार से तय किया गया है :

13. We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show cause notices and orders of censure/punishment etc. are qualified to be personal information as defined in clause (j) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee/officer in an organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual. Of course, in a given case, if the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer of the Appellate Authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, appropriate orders could be passed but the petitioner cannot claim those details as a matter of right.

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:32:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 11.03.2020 से जवाब दिया जा चुका है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार के उक्त निर्णय के अनुसार यदि अपीलीय प्राधिकरण के राज्य जन सूचना अधिकारी संतुष्ट है कि किसी बड़े सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है, तो उचित आदेश पारित किए जा सकते है लेकिन हक की बात के रूप में याचिकाकर्त्ता उन विवरणों का दावा नहीं कर सकते है। **इसलिए मेरे विचार में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 11.03.2020 से दिया गया उत्तर** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:32:17 IST
Reason: SelfAttested